न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–I, कौशाम्बी।
सत्र परीक्षण सं0–268/2010

राज्य बनाम करन यादव।

17.11.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त करन यादव उपस्थित है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.02.2013 को मुल्जिमान बाबूलाल, तीरथ प्रसाद, अशोक कुमार, सुन्दर लाल, सिद्ध गोपाल, बन्टा माली, दीपक शुक्ला व नर्वदा प्रसाद तथा शशी प्रकाश को अन्तर्गत धारा–319 द0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तलब किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.03.2013 व 18.03.2013 के आदेश पत्र से स्पष्ट है कि केवल अभियुक्तगण दीपक कुमार शुक्ला, शशी प्रकाश शुक्ला, नर्वदा प्रसाद शुक्ला, बाबूलाल, तीरथ प्रसाद, अशोक कुमार, सुन्दर लाल पटेल व सिद्ध गोपाल के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित की गयी, जबकि अभियुक्त करन यादव के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है और श्रीमती चन्द्रकली का पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में साक्ष्य भी अंकित हो चुका है। ऐसे में नियत तिथि को करन यादव के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण, जिनके विरूद्ध कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित है, माननीय उच्च न्यायालय का अद्यतन आदेश प्रस्तुत करें कि उक्त स्थगन वर्तमान में प्रभावी है या नहीं। अन्यथा वाद में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 07.12.2018 को पेश हो।

दिनांक 17.11.2018

अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–I, कौशाम्बी।